परिपत्र संख्या-स0द0/25-क/रोड चेकिंग/कम्प्यूटर परि0सं0-2021039 / 1050 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 19 जनवरी, 2021

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),

असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (सचलदल),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- परिवहन के दौरान माल एवं वाहन को रोकने, अवमुक्त अथवा जब्त किए जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं तदधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किसी माल का परिवहन करते हुए पाए जाने पर सचलदल इकाइयों द्वारा की जाने वाली प्रक्रियात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या-1819009 दिनांक 09-05-2018 जारी किया गया था जिसे अतिक्रमित करते हुए परिपत्र संख्या-2021007 दिनांक 09-07-2020 से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में परिवहन के दौरान विनिर्दिष्ट प्रपत्र यथा ई-वेबिल की जांच की आड़ में किसी माल वाहक / व्यापारी का उत्पीड़न न किए जाने सम्बन्धी निर्देश परिपत्र संख्या-1819019 दिनांक 13-07-2018 से जारी किए गए हैं।

2. सचलदल इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों को माल के सभी अन्तरप्रान्तीय एवं प्रान्तीय संचरण के दौरान किसी वाहन को रोक कर ई-वेबिल सत्यापन हेतु उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम-138B के उपनियम (1) में अधिकृत किया गया है।

3. मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि सचलदल इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा प्रान्त बाहर से उत्तर प्रदेश होते हुए किसी अन्य प्रान्त को जाने वाले अन्तरप्रान्तीय संचरण के दौरान ई-वेबिल की जांच के नाम पर वाहन को रोक कर क्रेता अथवा विक्रेता फर्मों की जांच कराई जा रही है जिससे माल का बाधारहित संचरण प्रभावित होने के साथ-साथ ट्रांसपोर्टरों एवं प्रान्त बाहर के पंजीकृत व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अत: निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र संख्या-2021007 दिनांक 09-07-2020 का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए माल के अंतरप्रान्तीय संचरण के दौरान विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में घोषित क्रेता एवं विक्रेता व्यापारी के विरुद्ध प्राप्त पुष्ट प्रतिकूल सूचना के आधार पर ही वाहन रोककर निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए अन्यथा जांच की आड़ में वाहन को न रोका जाए।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।